न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

उपस्थित–रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (JO CODE–UP 3725)

फौज० मुकदमा संख्या–758/2024

कंप्यूटर पंजीकरण सं०–30/2020

CNR NO.–UPLP 1200 0302 2020

राज्य

बनाम

रामप्रसाद उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र लक्ष्मण निवासी पिपरौला मर्दन थाना उचौलिया जिला खीरी।

मु०अ०सं०–1186/2009
अं०धारा–60(2) आबकारी अधिनियम
थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी।

निर्णय

पुलिस थाना पसगवां, जिला–खीरी द्वारा मु०अ०सं०–1186/2009, अन्तर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम के अधीन अभियुक्त रामप्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "दिनांक 26.06.2009 को मैं एस०आई० राजेश कुमार मय हमराही का० 278 चन्द्रपाल, का० 460 सुनील कुमार के ओ.पी. उचौलिया से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र गस्त वारण्टी व वांछित अभियुक्त ग्राम जलालपुर में मौजूद था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि पिपरौला मर्दन ग्राम के पूरब सामने तलाब के किनारे ग्राम कलवारी का ओमप्रकाश तथा एक अन्य व्यक्ति अलग–अलग चूल्हा जलाकर कच्ची शराब बना रहे हैं, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है, इस सूचना पर विश्वास करके मैं एस०आई० मय हमराहीयान व मुखविर के ग्राम पिपरौला मर्दन के पूरब तालाब के करीब 600 मीटर मोटर साइकिलें खड़ी किये। गवाहान फराहाम करने की कोशिश की गयी, परन्तु आने जाने वाले व वाहनों को रोककर कारण बताते हुए साथ चलने को कहने पर भी जनता का कोई भी गवाह भलाई–बुराई का वास्ता देकर बेवजह दुश्मनी हो जाने की बात कहते हुए गवाही के लिए तैयार नहीं हुए। अतः बमजबूरी मैं एस०आई० मय हमराहियान व मुखविर के समध तालाब के नजदीक गए तो मुखविर ने तालाब किनारे उट हे धुएं तथा आग जलने की तरफ इशारा किया तथा मुखविर वापस चला गया। इस पर हम लोगों ने छिपते छिपाते रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए तालाब किनारे उठ रहे धुए के पास जाकर थोड़ी दूर से देखा तो पाया कि तालाब किनारे अलग–अलग चूल्हा जला रहे हैं। मिट्टी के चूल्हे के ऊपर एक पिपिया चढ़ा है जिसके ऊपर मिट्टी का एक चूल्हा जलता पाया गया जिसके ऊपर पानीनुमा तरल प्लास्टिक की पाइप से निकल कर जमा हो रहा था। विश्वास करके कि अभियुक्त कच्ची शराब बना रहा है, उसे दविश देकर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मण निवासी पिपरौला मर्दन थाना उचौलिया जिला खीरी बताया, जिसकी जामातलाशी से शराब भट्ठी के पास में रखी प्लास्टिक की पिपिया में करीब पांच लीटर कच्ची शराब मौजूद है। पतीली के पानी से चूल्हे की आग बुझाकर तथा दूसरे हांडी के वर्तन से खौल रहे लहन में से एक

शीशी में नमूना लहन लेकर शेष लहन नष्ट किया गया। पकड़े गए व्यक्ति से कच्ची शराब बनाने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा माफी मांगने लगा। अतः विधिवत जुर्म से अवगत कराते हुए अं०धारा–60(2) Ex.Act हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद माल को कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना की गयी तथा गवाहन के बयानात अंकित किए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त रामप्रसाद के विरुद्ध धारा–60(2) आबकारी अधिनियम के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एंव अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त रामप्रसाद न्यायालय में हाजिर आया एवं उसके द्वारा अपनी जमानत कराई गयी।

अभियुक्त को विधिनुसार अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० के अधीन अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2016 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा अपने विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद भी किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। दिनांक 02.05.2026 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में अग्रसारित की गयी।

दिनांक 19.05.2026 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि सब झूठ है। मुकदमा रंजिशन चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देने से इनकार करते हुए कथन किया है कि मैं निर्दोष हूँ। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 30.09.2016 को आरोप विरचित किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर साक्ष्य हेतु नियत रही, उच्चाधिकारियों को पत्राचार भी किया गया, परन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। जो भी साक्षी हैं पुलिस कर्मचारीगण हैं। साक्षियों की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा आदेशिकाएं जारी की गयीं, परन्तु उसके पश्चात् भी

अभियोजन द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन को साक्ष्य हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये, उसके उपरान्त भी अन्य किसी भी साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त लगभग 10 वर्षों से विचारण का सामना कर रहा है, अभियुक्त को अत्यन्त मानसिक एवं आर्थिक हानि हो रही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Imtiyaz Ahmad v. State of Uttar Pradesh and Ors., (2012) 2 SCC 688** के मामले में यह प्रेषित किया है कि "It was observed that long delay has the effect of blatant violation of rule of law and adverse impact on access to justice which is a fundamental right. Denial of this right undermines public confidence in justice delivery.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शीघ्र विचारण अभियुक्त का नैसर्गिक अधिकार है। प्रस्तुत वाद में लगभग 10 वर्षों तक पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत रही। अभियोजन के उच्चाधिकारियों को भी पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी तथ्य के साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, न ही साक्षी प्रस्तुत न करने का कोई कारण ही बताया गया। अतः उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में लगभग 10 वर्षों तक पत्रावली साक्ष्य में नियत रहने के पश्चात् अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

उपरोक्त मामले में अभियोजन के द्वारा तथ्य के किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बरामद फर्द को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही माल बरामदगी को साबित किया है। अभियोजन के द्वारा आरोपपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द बरामदगी, जी०डी० कायमी आदि को भी साबित नहीं किया है। इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये धारा–60(2) आबकारी अधिनियम के आरोप को युक्ति–युक्त एवं संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा है। अतः अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त रामप्रसाद को मु०अ०सं०–1186/2009, आरोप अंतर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम, थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी के दण्डनीय अपराध के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके पूर्व में दाखिल जमानतनामें निरस्त कर जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/–रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अभियुक्त के पास से बरामद माल बाद मियाद अपील, यदि वांछित न हो तो नियमानुसार निस्तारित हों।

दिनांकः 03.06.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO CODE–UP 3725)

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 03.06.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO CODE–UP 3725)